"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2002—आषाढ़ 19, शक 1924

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2002

क्रमांक 02/04/2002/934.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 479/2002-PLN-III, दिनांक 10 जुलाई, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई 2002—19 आषाढ़, 1924 (शक)

अधिसूचना

सं. 479/2002/योजना-III.—राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 27 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग 18 जुलाई, 2002 (बृहस्पतिवार) को ऐसे दिन के रूप में जिस दिन और उस दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिस समय पर, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2002 के मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष सं. 63, प्रथम खण्ड, संसद भवन, नई दिल्ली में की जाएगी.

आदेश से,

हस्ता. /-
(शरन पाल सिंह)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated the 10th July, 2002—19 Asadha, 1924 (Saka)

NOTIFICATION

No. 479/2002-PLN-III.—In pursuance of rule 27 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby appoints the 18th July, 2002 (Thursday) as the day on which and 11.00 a.m. of that day as the time at which, the counting of votes for the Presidential Election, 2002 shall take place at the office of the Returning Officer in Room No. 63, First Floor of the Parliament House, New Delhi.

By Order,

Sd/-
(Sharan Pal Singh)
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.